

असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2314]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 17, 2019/आषाढ़ 26, 1941

No. 2314]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 17, 2019/ASHADHA 26, 1941

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2019

का.आ. 2543(अ).— हिमाचल प्रदेश राज्य ने वनों से बाहर के क्षेत्रों में रीसस मकाक बंदरों की अत्यधिक संख्या के कारण बड़े पैमाने पर खेती-बाड़ी के नष्ट होने सहित जीवन और संपत्ति का नुकसान होने की सूचना दी है;

और केन्द्र सरकार ने वनों में वन्यजीवों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए राज्य में मानव जीवन, फसलों और अन्य संपत्तियों के नुकसान को कम करने के लिए इस प्रजाति की स्थानीय संख्या को संतुलित करना आवश्यक समझा है।

अब इसलिए, केंद्र सरकार एतद्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की अनुसूची-II के भाग-I की क्रम संख्या 17-ए पर सूचीबद्ध रीसस मकाक (मकाका मुलाटा) को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अविध के लिए 'शिमला नगर निगम की सीमाएं' हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में, वन क्षेत्रों को छोड़कर, पीड़क जंतु के रूप में और इसे अधिनियम की अनुसूची-V में शामिल किए जाने की घोषणा करती है।

[फा. सं. 1-26/2015-डब्ल्यूएल-I (पार्ट)]

एम. एस. नेगी, अपर वन महानिदेशक (वन्यजीव)

# MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2019

S.O. 2543(E).—Whereas, the State of Himachal Pradesh has reported harm to life and property including large scale destruction of agriculture due to overpopulation of Rhesus Macaque monkeys in areas outside forests;

And Whereas, the Central Government has considered it necessary to balance local population of this species to mitigate the damage to human life, crops and other properties of the State for ensuring conservation of wildlife in forests.

Now Therefore, in exercise of the powers conferred by section 62 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government, hereby declare the Rhesus Macaque (*Macaca mulatta*) listed at serial number 17-A of Part I of Schedule II to the said Act, as vermin and to be included in Schedule V of the Act, for a period of one year from the date of the publication this notification, in the area of 'Shimla Municipal Corporation limits' Himachal Pradesh, excluding the forest areas.

[F. No. 1-26/2015-WL-I (pt)]

M. S. NEGI, Addl. Director General of Forests (WL)